13.7.18 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 10.7.18 को पेश हो। पूर्व आदेश यथावत रहेगा। ह.उ.

19.7.18 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दौरान करते हुए निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 10009/4485 रकबा 07 बिस्वा भूमि प्रार्थी एंव विपक्षी सं. 01 लगायत 06 की संयुक्त खातेदारी हक की है। तथा सभी पक्षकारान् अपने-अपने हक हिस्सेनुसार काबीज होकर काश्त कर चले आ रहे है परन्तु राजस्व अभिलेख मे विभाजन नही हुआ है ओर विपक्षीगण उक्त आराजियातको बिना विभाजन कराये अन्य व्यक्तियो को विक्रय कराने हेतु आमादा है अत: जब तक पक्षकारान् के मध्य हक हिस्से व कब्जेनुसार राजस्व अभिलेख मे विभाजन न हो तब तक व मूल वाद पत्र के निस्तारण तक विपक्षीगण को मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति रखने हेतु पाबंद किया जावे। इसके विरूद्ध विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य मे वादग्रस्त आराजी का कई वर्ष पूर्व मे ही मौके पर बाहमी विभाजन हो चुका है तथा बाहमी विभाजन अनुसार ही सभी खातेदारान् काबिज है तथा राजस्व अभिलेख मे विभाजन कराने हेतु प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य दिनांक 12-2-2018 को एक बंटवारानामा मय 500/-रू के स्टाम्प पर लिखा जा चुका है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अब किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा विबन्ध के सिद्वान्त से विपक्षीगण के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी नही है साथ ही विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार है व रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है साथ ही विपक्षी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त प्रकरण के मूलवाद पत्र मे न्यायालय द्वारा विभाजन हेतु निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार माण्डल से विभाजन प्रस्ताव भी मंगवाया जा चुका है जो मूल वाद पत्र की पत्रावली मे संलग्न है उक्त विभाजन प्रस्ताव एंव दिनांक 12-2-18 को पक्षकारान् के मध्य निष्पादित बंटवारानामा अनुसार ही

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

रीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सभी खातेदारान् काबिज है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवारा नामा व मूल वाद पत्र के साथ संलग्न तहसीलदार मांडल द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने से यह जाहिर आया कि पक्षकारान् के मध्य वादग्रस्त अराजियात का बाहमी विभाजन हो चुका है तथा इसी अनुसार काबिज है तथा प्रार्थी अपने द्वारा निष्पादित बंटवारे नामे से विधि अनुसार मुकरने हेतु बाधित है तथा सह खातेदारान् के विरुद्ध कोई भी सहखातेदार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। तथा प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नही होकर सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रार्थी साबित कराने मे असफल रहा है तथा मौके पर सभी पक्षकारान् अपने-अपने हक हिस्सेनुसार काबिज है तथा विपक्षीगण ने भी हिस्से व कब्जेनुसार विभाजन करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नही की है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति भी नही हो रही है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य समझती हूं। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने मे असफल रहने के कारण पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.3.18 को निरस्त की जा कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वादपत्र के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	